


बिहार विधान परिषद् सचिवालय
विज्ञापन सं.-06/2019
(सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु)
आवश्यक सूचना

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के सुरक्षा संवर्ग में सुरक्षा प्रहरी के रिक्त 28 (अट्टाईस) पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित शारीरिक माप जांच/शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक 24.02.2020 (सोमवार) को 10:00 बजे पूर्वा. में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

1. ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति ।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रति ।
3. सभी परीक्षार्थी अपना पहचान-पत्र (मूल प्रति में) यथा मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (कलर प्रिंट) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
4. चार पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ।
5. इंटर/ समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया-प्रति) ।
6. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :- ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
 - क. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-1(प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
 - ख. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया-प्रति)
 - i. जाति-प्रमाण पत्र ।
 - ii. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र ।
 - ग. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया-प्रति)
 - i. जाति-प्रमाण पत्र ।
 - ii. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र ।
 - iii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र ।
7. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा ।
8. जो अभ्यर्थी प्रमाण-पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।


25.2.2020
(विनोद कुमार)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्